भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 197

(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

सीएसआर का अनुपालन न करना

197. श्री दुष्यंत चौटालाः
श्री एम. आई. शनवास:

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ कंपनियां कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का अनुपालन नहीं कर रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कदम/उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) और (ख): यह मंत्रालय कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग से कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के आंकड़े समेकित करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के सीएसआर संबंधी प्रावधान के अनुपालन का उल्लंघन होने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई की जाती है। सरकार ने अब तक इस अधिनियम की धारा 134(3)(ण) के साथ पठित धारा 135 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए 199 कंपनियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने की अनुमति दी है।

*****